न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 117/2011-12, जैतुल खातुन बनाम अब्दुल केश

केस का प्रकार - BLDR ACT

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
24/11/12	<u>आदेश</u> प्रस्तुत वाद 117/2011-12, जैतुल खातुन बनाम अब्दुल केश, समाहर्त्ता प० चंपारण, बेतिया के द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय वाद सं० - RM - 01/06-07 जैतुला खातुन बनाम अब्दुल केश में दिनांक 01.07.2011 को पारित आदेश ~~कर आदेश पारित करने~~ ~~फिर सुनवाई के प्रतिप्रेषित किया जाता की~~ केसों के आधार पर सृजित है समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश में संबंधित मामले को BLDR ACT के तहत सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु अभिलेख को इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने का उल्लेख है। आवेदिका जैतुल खातुन ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के द्वारा जमाबंदी सुधार	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार -

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	वाद सं० 16/05-06, जैतुन खातून बनाम मखदूल केस में दिनांक 23.07.2005 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर पुनरीक्षण अपील समाहर्ता, प० चंपारण के न्यायालय में सं०-02/06-07 दाखिल किया है, जो प्रतिप्रेषित होकर इस न्यायालय में प्राप्त है। समाहर्त्ता, प० चंपारण के द्वारा पारित प्रतिप्रेषण (Remand) आदेश एवं प्राप्त अभिलेख के आधार पर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। लेकिन किसी भी पक्ष ने न तो लिखित जवाब समर्पित किया, न ही विस्तृत रूप से अपना मौखिक पक्ष या तर्क प्रस्तुत किया। जबकि आवेदक एवं विपक्षी को कई मौका न्यायालय के द्वारा प्रदान किया गया। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत मौखिक पक्ष/तर्क को सुनने एवं अभिलेख पर पूर्व से उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि प्रस्तुत वाद का मामला जमाबंदी सुधार से जुड़ा है। तथा आवेदिका का दूसरा अनुरोध न्यायालय	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	से विपक्षी को प्रश्नगत भूमि में हस्तक्षेप करने से रोकने का है। लेकिन आवेदिका दूसरे अनुतोष के संबंध में भी अपना पक्ष या साक्ष्य उपस्थापित करने में असफल रही है। संबंधित मामला जमाबंदी सुधार से जुड़ा होने तथा आवेदक के द्वारा पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। आवेदिका चाहे तो जमाबंदी सुधार के लिए बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार अपर समाहर्ता के न्यायालय में उपचार हेतु वाद दायर कर सकते है। ~~कक~~ ह०/- 24/XI/12 भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया। न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता * बेतिया (प० चम्पारण)	